

प्रेषक,

राजेश भारती, भा०प्र०सं०
श्रमायुक्त, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

पटना, दिनांक- 05/01/26

विषय:- विमुक्त बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।
महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-12 जून, 2016 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री ने बाल श्रम से विमुक्त कराये गये एवं CLTS में दर्ज बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से रु० 25,000 प्रति विमुक्त बाल श्रमिक उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, जिसके आलोक में मुख्यमंत्री राहत कोष से पंचम किस्त की राशि प्राप्त हो चुकी है। उक्त राशि प्रत्येक विमुक्त बाल श्रमिक के नाम से उनके 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होने तक Fixed Deposit (FD)/Annuity Scheme में निवेशित की जायेगी, जिससे प्राप्त सूद/ब्याज की राशि प्रति माह उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी, जिसका वे आवश्यकतानुसार सदुपयोग कर सकेंगे। FD की अवधि इस तरह से रखना है कि अधिकतम लाभ मिले एवं 18 वर्ष की उम्र तक Auto renewal होती रहे। 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के उपरांत पूरी राशि बाल श्रमिक को प्राप्त हो सकेगी।

क्र० सं०	जिला	Child ID No.	बाल श्रमिक का नाम	विमुक्ति की तिथि	अभियोजन/ एफ०आई०आर०
1	गोपालगंज	BIH_GOPAL_2025_111570	आकाश कुमार	23.08.2025	177/25
2		BIH_GOPAL_2025_111541	रोहन आलम	22.07.2025	154/25
3		BIH_GOPAL_2025_111539	अमित कुमार	22.07.2025	156/25

उपर्युक्त विवरणी के आलोक में विमुक्त बाल श्रमिकों हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से @25,000/- प्रति बाल श्रमिक के दर से जिलावार निम्न प्रकार से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिला	खाताधारी का पदनाम	खाता संख्या	IFSC कोड	बाल श्रमिकों की संख्या	बाल श्रमिकों की सं० एवं अनुमान्य राशि	राशि रूपये में	जिलाधिकारी/ श्रम अधीक्षक द्वारा प्रेषित अध्याचना का विवरण।
गोपालगंज	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज	363687 31403	SBIN00 05971	03	03@25000	75,000/-	पत्रांक-1217, दिनांक-16.12.2025,
कुल				03	03@25000	75,000 (पचहत्तर हजार)	

अतः अनुरोध है कि उपलब्ध करायी जा रही राशि से सत्यापित, अध्याचित एवं CLTS Software में दर्ज पात्र बाल श्रमिक को ही लाभ दिया जाय एवं लाभ देने के उपरांत साक्ष्य सहित प्रतिवेदन विभाग को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

राशि के उपयोग के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की भी कृपा की जाय। भुगतान करने के पूर्व अच्छी तरह से जाँच कर लिया जाय कि विमुक्त बाल श्रमिकों को पूर्व में राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

विश्वासभाजन


(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक:-01/सी०एल०-10-20/2025, श्र०सं०.....25

पटना, दिनांक- 05/01/26

प्रतिलिपि:-श्रम अधीक्षक, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि विमुक्त बाल श्रमिकों को यथाशीघ्र राशि उनके खाते में अंतरित कराना सुनिश्चित करें साथ ही इस कार्य में जिला पदाधिकारी को अपना पूर्ण सहयोग दें।


श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक:-01/सी०एल०-10-20/2025, श्र०सं०.....25

पटना, दिनांक- 05/01/26

प्रतिलिपि:-आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


श्रमायुक्त, बिहार

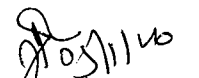
ज्ञापांक:-01/सी०एल०-10-20/2025, श्र०सं०.....

25

पटना, दिनांक- 05/01/26

प्रतिलिपि:-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन, शाखा बेली रोड, पटना।

आपको निदेश दिया जाता है कि आप Secretary to Labour Commissioner के खाता सं०-36274069859 को उपरोक्त विवरणी के अनुसार RTGS/NEFT के माध्यम से राशि को Debit कर संबंधित खातों में Credit किया जाय।


(रजेश भारती)
श्रमायुक्त के सचिव

